(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
रसद अपील : 267/2023 (12/157/2019)
तारीख रजू : 22.09.2023 (15.10.2019) निर्णय दिनांक : 21.05.2024

उनवान

1. सुभाष चन्द यादव पुत्र सुल्तान सिंह, उचित मूल्य दुकानदार शिवदानसिंहपुरा, 1/2 भाग, ग्राम पंचायत खोहर, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

– अपीलार्थी

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़

– प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.09.2019 प्रकरण सं. 86/2019 जिला रसद अधिकारी अलवर जिसके द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1586/2012 विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्ट को बिना सुने निरस्त कर दिया गया है, को मनसुख फरमाया जावें एवं अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए उचित मुल्य सामग्री का उठाव एवं वितरण करने की आज्ञा प्रदान करने व अन्य उचित दादरसी हेतु ।

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 21.05.2024

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 22.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 04.09.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी सुभाष चन्द यादव पुत्र सुल्तान सिंह, उचित मूल्य दुकानदार शिवदानसिंहपुरा, 1/2 भाग, ग्राम पंचायत खोहर, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र 1586/2012 निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर विभागीय पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की प्रत्यर्थी द्वारा अपीलाण्ट पर आरोप लगाया कि वक्त निरीक्षण उपभोक्ता सप्ताह में उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गई है। साथ ही दुकान बन्द होने का कोई कारण अंकित नहीं पाया गया, ना ही दुकान के बाहर उच्चाधिकारियों के आवश्यक दूरभाष नम्बरों का अंकन पाया गया। जबकि मिन अपीलाण्ट ने दिनांक 27.03.2019 को उचित मुल्य की दुकान खोली थी तथा माह का अन्तिम सप्ताह होने

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

के चलते दुकान में उचित मूल्य सामग्री का स्टॉक शेष नहीं था। दुकान के बाहर डीएसओ, उपखण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर के दुरभाष नम्बर अंकित किये हुए थे। वक्त जांच मौके पर उपस्थित मुख्य शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार यादव ने जरिये बयान बताया कि उसने आदिनांक तक राशन कार्ड प्राप्त नहीं किया है, जबकि उसके राशन कार्ड से 24 लीटर नीला कैरोसीन एवं 120 किग्रा गेहूं का उठाव होना पाया गया है। कथित शिकायतकर्ता विजय कुमार यादव सर्विस करता है, जिसका राशन कार्ड खादय सुरक्षा सूची में पिछले दो वर्षों से दर्ज नहीं है, जिस कारण से उसे कोई राशन सामग्री प्राप्त नहीं होती है। शिकायत बेवजह की है। वक्त जांच मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ताओं ने जरिये बयान बताया कि राशन डीलर द्वारा आम उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न बहाने बनाकर राशन सामग्री का गबन किया जाता है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी उचित मूल्य दुकान के जरिये समस्त उपभोक्ता को समय पर, उचित मात्रा में, उचित रेट पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में कभी कोई शिकायत नहीं रही है, ना ही प्रार्थी को कार्यालय से कोई नोटिस जारी किया गया है। वक्त जांच मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने बताया कि उनसे कहा जाता है कि पॉश मशीन पर आपका अंगूठे निशानी का बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जबकि बदनियति से धोखाधडी करके उस राशन कार्ड की राशन सामग्री का उठाव कर लिया जाता है। प्रत्येक उपभोक्ता का अंगूठा लगाकर पोस मशीन से राशन सामग्री का वितरण किया जाता है, जिस राशन सामग्री के प्राप्ति के पश्चात उपभोक्ता के मोबाईल प्राप्त राशन सामग्री की मात्रा व राशि का मैसेज आता है जिसमें किसी प्रकार की धोखाधडी नहीं हो सकती है। यहाँ यह दर्ज करना भी आवश्यक है कि एटीएम मशीन से पैसे निकालने के बाद भी मोबाईल पर मैसेज आता है, उसी प्रकार से पोस मशीन से राशन साम्रगी से वितरण करने पर उपभोक्ता के मोबाईल पर मैसेज आता है। राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं से पॉस मशीन पर दो माह की आवंटित राशन सामग्री का अंगूठा निशानी लगवाकर केवल एक माह की राशन सामग्री को वितरण की जाती है। यदि उपभोक्ता को दो माह की राशन साम्रगी वितरित किया जाता है, उस उपभोक्ता को दो माह की राशन सामग्री दी जाती है व उसको राशन सामग्री प्राप्ति की स्लीप प्रदान की जाती है, एवं मोबाईल पर मैसेज आता है। एक माह की राशन सामग्री प्राप्त करने पर एक माह की राशन सामग्री बाबत ही मैसेज आता है। उक्त आरोप गलत है, निराधार है। प्रार्थी द्वारा अपने उपभोक्ता से मृदभाषी व्यवहार किया जाता है, किसी प्रकार से अभद्रतापूर्ण व्यवहार नही किया जाता है। समय पर उचित मूल्य दुकान खोली जाकर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता है। यह निवेदन करना भी आवश्यक है कि माह मार्च 2019 की उचित मूल्य की राशन सामग्री दिनांक 31.3.2019 को प्राप्त हुई है, जिसका वितरण दिनांक 01.4.2019 व 02.4.2019 को किया गया है। जब माह मार्च 2019 में प्रार्थी को राशन सामग्री ही प्राप्त नहीं हुई तो वितरण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रकरण बनाने के लिए मनमानी रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान के समक्ष पेश की है। यहाँ यह भी निवेदन है कि रिपोर्ट बनाने की बजाए प्रवर्तन निरीक्षक यदि माह मार्च 2019 में राशन सामग्री का उठाव करवा देते तो किसी उपभोक्ता की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती। अपीलान्ट द्वारा समस्त उपभोक्ताओं को नियमानुसार सही रेट पर सही समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया गया है। क्योंकि जिला रसद विभाग के एवं राजस्थान सरकार के पूर्व में मौखिक निर्देश रहे है कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी उपभोक्ता के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड लेकर आने पर पोस मशीन से फिंगर प्रिंट लगवाकर राशन सामग्री का वितरण किया जावे। अपीलान्ट द्वारा उक्त दिशा निर्देशो की पालना में अपनी उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं द्वारा उक्त तीनों कार्डों में से किसी भी कार्ड के लाने पर उपभोक्ताओं को नियमानुसार पोस मशीन पर फिंगर लगवाकर उचित मूल्य सामग्री प्रदान की गई है, उक्त कार्य गबन की परिधि में आता है। उपभोक्ताओं को नियमानुसार उचित मूल्य सामग्री पोस मशीन के माध्यम से समय पर उपलब्ध करवाई गई है, जो तथ्य गौर श्रीमान है। क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अपीलान्ट के द्वारा उचित मूल्य राशन सामग्री वितरण से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, उपभोक्ता मिन अपीलान्ट के कार्य एवं व्यवहार से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे है। अपीलान्ट वर्ष 2012 से लगातार क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा है, जिसकी कभी कोई शिकायत नहीं रही है। जिला रसद अधिकारी, अलवर की पत्रावली पर ऐसी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं रही है कि जिससे अपीलान्ट के विरूद्ध मनगंढत रूप में विरचित किये गये आरोप सिद्ध व साबित होते हो, के बावजूद आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैरोकार रसद (जिला रसद अधिकारी) ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए दलील प्रस्तुत की कि उचित मूल्य दुकानदार सुभाष चन्द यादव द्वारा राशन कार्ड

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़